

**बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग**

पत्रांक ...../पटना, दिनांक .....  
06/पणन (सं.)-159/2023

सेवा में,

**महालेखाकार (ले. एवं हक.),**  
वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार पटना।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 42900 (बयालीस हजार नौ सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रु0 30,89,98,582/- (तीस करोड़ नवासी लाख अनठानवे हजार पाँच सौ बेरासी) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति।

**आदेश :** स्वीकृत।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होनेवाले खाद्यानों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप अन्तर्गत वर्ष 2023-28 में भूमि के उपलब्धता के आधार पर 200, 500 या 1000 मे.टन क्षमता के गोदाम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए अनुमानित लक्ष्य के नदैनजर पैक्सों/व्यापारमंडलों में भंडारण क्षमता में 10 लाख मे.टन अभिवृद्धि किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 42900 (बयालीस हजार नौ सौ) मे0टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु पैक्सों/व्यापारमंडलों में 200 मे0टन, 500 मे0टन या 1000 मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए सूची में अंकित समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रु0 30,89,98,582/- (तीस करोड़ नवासी लाख अनठानवे हजार पाँच सौ बेरासी) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष-0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080114 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा, जो इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि.) दिनांक-17.04.98 एवं परिपत्र संख्या-7355 (वि.) दिनांक-05.10.07 के आलोक में उपलब्ध आवंटनानुसार स्वीकृत राशि का विपत्र BTC Form 42 में तैयार कर चयन समिति द्वारा चयनित समितियों की सूची के साथ संबंधित जिला के कोषागार में प्रस्तुत करेंगे तथा आवंटित राशि को बैंक ड्राफ्ट/खाता अन्तरण (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से संबंधित समितियों के लिए संधारित विशेष बचत खाता में समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.10 एवं पत्रांक-500 दिनांक-18.01.11 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जायेगी। उक्त राशि की वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Fund का सृजन तथा संधारण किया जायेगा। चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा, जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
5. गोदाम निर्माण पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर किया जायेगा। व्यापार मंडलों में निर्माण कार्य हेतु भूमि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित व्यापार मंडल हेतु कर्णांकित भूमि पर होगा। जिन प्रखण्डों में व्यापारमंडल के लिए भूमि कर्णांकित नहीं है, वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधियाचना की जायेगी। भूमि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।
6. पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। सूची में अंकित समितियों द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा किया जायेगा। गोदाम निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्वयं किया जायेगा।
7. परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा।
8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. गोदाम निर्माण हेतु चयनित समितियों की सूची के साथ अधियाचना प्राप्ति के आधार पर आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-2870 दिनांक 19.04.2021 के क्रम सं०-17 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि.(2) दिनांक- 16.05.13 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र छः माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. गोदाम निर्माण हेतु दिनांक-04.02.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 45 के रूप में उक्त योजना की स्वीकृति दी गयी है (संचिका संख्या-06/पणन (सं.)-159/2023 पृष्ठ-99/टि.)।

13. इस योजना के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 679 दिनांक 10.02.2025 में निर्धारित शर्त एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।

14. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति संचिका संख्या-06/पणन (सं.)-159/2023 के पृ० सं०- 105/टि. पर दिनांक- 27.02.2025 को दी गई है।

15. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति संचिका संख्या-06/पणन (सं.)-159/2023 के पृ० सं०- 105/टि. पर दिनांक- 28.02.2025 को दी गई है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह )  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक ..... 519 ...../पटना, दिनांक 28/02/25  
06/पणन (सं.)-159/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।
3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/माननीय मंत्री सहकारिता विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

(पं०)  
28.02.2025

सरकार के अपर सचिव।